संख्या– 646/सत्तर–2–2022–16(11)/2017 टी0सी0

प्रेषक,

मोनिका एस0 गर्ग,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
प्रयागराज।

2. कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

कुलसचिव कार्यालय
दिनांक 14.07.22
पंजिका पृष्ठ सं0 100
पत्रांक सं0 1770
ह0सहायक...

उच्च शिक्षा अनुभाग–2

लखनऊ: दिनांक: 15 जुलाई, 2022

विषयः–उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक सत्र 2023–24 के लिये नये महाविद्यालयों/संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थानों में अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों (बी0एड0 पाठ्यक्रम को छोड़कर) को प्रारम्भ करने हेतु अनापत्ति एवं सम्बद्धता प्रस्तावों के ऑनलाइन निस्तारण हेतु समय–सारिणी।

महोदय,

उपर्युक्त संदर्भ में अवगत कराना है कि विगत वर्षों में अनापत्ति एवं सम्बद्धता के प्राप्त आवेदनों के सापेक्ष ऑनलाइन निस्तारण की अद्यतन स्थिति निम्नवत् है :–

| | प्राप्त आवेदन | स्वीकृत | निरस्त | लम्बित |
|---|---|---|---|---|
| अनापत्ति | 2565 | 1370 | 560 | 635 |
| सम्बद्धता | 3930 | 2203 | 1260 | 467 |

पूर्व के वर्षों के लम्बित अनापत्ति एवं सम्बद्धता के कतिपय प्रस्तावों का अपेक्षित निस्तारण निर्धारित समय–सारणी के अंतर्गत नहीं किया गया, जो कि असंतोषजनक स्थिति है। इससे विश्वविद्यालय की कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगता है और विभाग की छवि धूमिल होती है। इसका विश्वविद्यालय वार विवरण संलग्न किया जा रहा है।

निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में अनापत्ति एवं सम्बद्धता आवेदनों के निस्तारण की स्थिति अत्यन्त असंतोषजनक है :–

अनापत्ति आवेदन

(1) चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

(2) डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या।

सम्बद्धता आवेदन

(1) जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया।

निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में अभी भी बड़ी संख्या में अनापत्ति एवं सम्बद्धता के आवेदन पत्र लम्बित है :–

स0 कु0 (सम्ब/एन.ओ.सी.)

प्रा0 आ0 (स0 ब0) NOC

15/7/2022

अनापत्ति आवेदन

(1) प्रो0 राजेन्द्र सिंह (रज्जू भैय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज।
(2) डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या।
(3) चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
(4) वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर।
(5) महात्मा ज्योतिबाफुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली।

सम्बद्धता आवेदन

(1) प्रो0 राजेन्द्र सिंह (रज्जू भैय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज।
(2) डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या।
(3) बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी।

2– **शैक्षिक सत्र 2023–24 हेतु उक्तानुसार लम्बित आवेदन पत्रों पर विचार करने की समय–सारणी**

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पूर्व में उक्तानुसार प्राप्त एवं लम्बित अनापत्ति के 635 प्रकरणों तथा सम्बद्धता के 467 प्रकरणों के निस्तारण हेतु विश्वविद्यालयों को अनापत्ति एवं सम्बद्धता प्रस्तावों के शैक्षिक सत्र 2023–24 हेतु ऑलाइन निस्तारण हेतु अंतिम अवसर प्रदान करते हुए निम्नवत् समय–सारणी निर्धारित की जाती है :–

| क्र0 | कार्यवाही | समय-सीमा |
|---|---|---|
| 1 | विश्वविद्यालय में ऑनलाइन जमा किये गये प्रस्तावों के भूमि संबंधी अभिलेखों का राजस्व विभाग से सत्यापन कराया जाना | दिनांक 31 जुलाई, 2022 तक। |
| 2 | अनापत्ति आदेश ऑनलाइन निर्गत किया जाना | |
| 3 | निरीक्षण मण्डल का गठन | दिनांक 12 अगस्त, 2022 तक।<br>(1) अनापत्ति आदेश ऑनलाइन निर्गत होने के पश्चात संस द्वारा विलम्बतम् दिनांक 05 अगस्त तक निरीक्षण मण्ड गठन के संबंध में आवेदन किया जायेगा।<br>(2) तद्पोरान्त विश्वविद्यालय द्वारा 12 अगस्त तक निरीक्ष मण्डल का गठन कर लिया जायेगा। |
| 4 | निरीक्षण मण्डल द्वारा निरीक्षण आख्या का प्रस्तुत किया जाना। | दिनांक 15 सितंबर, 2022 तक। |
| 5 | सदस्य-सचिव द्वारा आख्या को ऑनलाइन अपलोड किया जाना। | दिनांक 17 सितंबर, 2022 तक। |
| 6 | विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता ऑनलाइन प्रदान करने की अन्तिम तिथि | दिनांक 22 सितंबर, 2022 तक। |
| 7 | शासन में अपील करने की अन्तिम तिथि | दिनांक 26 सितंबर, 2022 तक। |
| 8 | शासन स्तर पर अपील निस्तारित करने की अन्तिम तिथि | दिनांक 30 सितंबर, 2022 तक। |

उपरोक्त निर्धारित समय–सारणी की तिथि व्यतीत होने के उपरान्त दिनांक 01 अक्टूबर, 2022 को लम्बित आवेदन पत्र पोर्टल में स्वतः विलोपित कर दिया जायेगा तथा संबंधित संस्था को नियमानुसार नवीन आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा करना होगा।

**पुनः स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त लम्बित अनापत्ति एवं सम्बद्धता प्रस्तावों का निर्णय शैक्षिक सत्र 2023–24 के लिये मान्य होगा।**

3– **शैक्षिक सत्र 2023–24 हेतु प्राप्त होने वाले नये आवेदन पत्र के संबंध में समय–सारणी**

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बी0एड0 पाठ्यक्रम के अतिरिक्त नये महाविद्यालयों/संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थानों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने हेतु शैक्षिक सत्र 2023–24 के लिये अनापत्ति एवं सम्बद्धता हेतु नये आवेदन प्रस्तुत करने और उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा उनके ऑनलाइन निस्तारण हेतु समय–सारिणी निर्धारित की जाती है :–

| क्र0 | कार्यवाही | समय-सीमा |
|---|---|---|
| 1 | विश्वविद्यालय में नये पाठ्यक्रमों हेतु अनापत्ति प्रस्ताव ऑनलाइन जमा करने की अन्तिम तिथि। | **दिनांक 01 सितंबर से 31 दिसंबर, 2022 तक।** |
| 2 | विश्वविद्यालय में ऑनलाइन जमा किये गये प्रस्तावों के भूमि संबंधी अभिलेखों का राजस्व विभाग से सत्यापन कराया जाना | **दिनांक 15 सितंबर से 31 जनवरी, 2023 तक।**<br>(1) अनापत्ति प्रस्ताव प्राप्त होने के तिथि से 07 दिन के अंदर संबंधित जनपद के जिलाधिकारी को सत्यापन हेतु प्रेषित कर दिया जायेगा।<br>(2) तद्पोरान्त जिलाधिकारी प्रस्ताव प्राप्त होने के अधिकतम् एक माह के अंदर सत्यापन रिपोर्ट संबंधित विश्वविद्यालय को ऑनलाइन प्रेषित कर देगा। |
| 3 | अनापत्ति आदेश ऑनलाइन निर्गत किया जाना | **दिनांक 15 फरवरी, 2023 तक।** |
| 4 | निरीक्षण मण्डल का गठन | **दिनांक 28 फरवरी, 2023 तक।**<br>(1) अनापत्ति आदेश ऑनलाइन निर्गत होने के पश्चात संस्था द्वारा दिनांक 22 फरवरी तक निरीक्षण मण्डल का गठन के संबंध में आवेदन किया जायेगा।<br>(2) तद्पोरान्त विश्वविद्यालय द्वारा 28 फरवरी तक निरीक्षण मण्डल का गठन कर लिया जायेगा। |
| 5 | निरीक्षण मण्डल द्वारा निरीक्षण आख्यां का प्रस्तुत किया जाना। | **दिनांक 15 अप्रैल, 2023 तक।** |
| 6 | सदस्य-सचिव द्वारा आख्या को ऑनलाइन अपलोड किया जाना। | **दिनांक 18 अप्रैल, 2023 तक।** |
| 7 | विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता ऑनलाइन प्रदान करने की अन्तिम तिथि | **दिनांक 28 अप्रैल, 2023 तक।** |
| 8 | शासन में अपील करने की अन्तिम तिथि | **दिनांक 15 मई, 2023 तक।** |

| | | |
|---|---|---|
| 9 | शासन स्तर पर अपील निस्तारित करने की अन्तिम तिथि | **दिनांक 15 जून, 2023 तक।** |

अनापत्ति एवं सम्बद्धता के अनिस्तारित आवेदन पत्र दिनांक 16 जून को पोर्टल से स्वतः विलोपित कर दिये जायेगें तथा संस्था को अगले शैक्षिक सत्र हेतु नवीन आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा करना होगा।

**4– सामान्य निर्देश**

**(i) अनापत्ति प्रस्ताव ऑनलाइन जमा करने के संबंध में निर्देश**

- वर्तमान में लम्बित आवेदन पत्र (उक्त प्रस्तर में उल्लिखित) तथा 01 सितंबर, 2022 से 31 दिसंबर, 2022 तक विश्वविद्यालय में अनापत्ति के ऑनलाइन जमा किये गये प्रस्ताव सम्बद्धता हेतु आगामी शिक्षण सत्र 2023–24 हेतु विचारणीय होगें।
- जो शिक्षण संस्थान समस्त अर्हताएं पूर्ण करते है, वे अनापत्ति एवं सम्बद्धता की पूर्वानुमति हेतु एक साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, किन्तु ऐसे प्रस्तावों पर चरणबद्ध तरीके से ही कार्यवाही की जायेगी। अनापत्ति निर्गत होने के पूर्व इसे सम्बद्धता के प्रति प्रतिबद्धता / आश्वासन नहीं माना जायेगा।

**(ii) ऑनलाइन जमा किये गये प्रस्तावों के भूमि संबंधी अभिलेखों का राजस्व विभाग से सत्यापन कराये जाने के संबंध में निर्देश :–**

- खतौनी का सत्यापन।
- संयुक्तता प्रमाण पत्र एवं नजरी का स्थलीय सत्यापन।
- सत्यापन उन बिन्दुओं तक होगा जो शासनादेश के अनुरूप हों, अन्यथा यह माना जायेगा कि विश्वविद्यालय द्वारा अनुचित आपत्तियां लगाई जा रही हैं।

**(iii) निरीक्षण मण्डल हेतु पैनल बनाने के मानक :–**

- निरीक्षण मण्डल का पैनल विश्वविद्यालय तैयार करेंगे, जिसमें सक्षम स्तर के विषय विशेषज्ञ होंगे तथा एक सदस्य–सचिव का नामांकन भी किया जायेगा, जिसका दायित्व निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा।
- निरीक्षण की तिथि हेतु विश्वविद्यालय द्वारा दो विकल्प दिये जाएंगे, जिसपर पैनल सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। उक्त दोनों तिथियां पोर्टल पर प्रदर्शित की जायेगी। संबंधित विश्वविद्यालय के कुलसचिव का यह दायित्व होगा कि उक्त निर्धारित तिथि पर पैनल सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित हो। निर्धारित तिथि पर निरीक्षण न होने की स्थिति में आवेदन पत्र पर नियमानुसार निर्णय लिया जायेगा।
- पैनल में जो सदस्य निरीक्षण हेतु निर्धारित तिथि पर उपस्थित न हों अथवा जिनकी सत्यनिष्ठा की शिकायत हो, उनके विरूद्ध मन्तव्य स्थापित करने हेतु उचित कार्यवाही की जाये।
- पैनल सदस्यों के कार्य आचरण का वर्षानुवर्ष रिकार्ड रखा जाये।

**(iv) निरीक्षण मण्डल द्वारा निरीक्षण आख्या प्रस्तुत किये जाने हेतु मानदण्ड :–**

- प्रस्ताव एवं अभिलेख की प्राप्ति चेक लिस्ट के अनुसार हो तथा प्राप्त कर्ता द्वारा स्पष्ट रूप से इंगित किया जाये।
- निरीक्षण आख्या पूर्ण एवं सुस्पष्ट हो। शासनादेश में जिन बिन्दुओं की पुष्टि की अपेक्षा है, उसके अनुरूप निरीक्षण आख्या हो, यह सुनिश्चित करने का दायित्व सदस्य सचिव का होगा।
- समिति का कोई सदस्य असहयोग करता है तो उसके विरूद्ध विश्वविद्यालय नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करेगा।
- सदस्य–सचिव का यह दायित्व होगा कि निरीक्षण मण्डल की आख्या को उपरोक्त निर्धारित समय–सारिणी के अंतर्गत अपलोड करना सुनिश्चित करें।
- कुलसचिव का यह दायित्व होगा कि उपरोक्त निर्धारित समय–सारिणी के अंतर्गत समस्त कार्यवाही समयबद्ध रूप से कराना सुनिश्चित करें।

कृपया उक्त समय–सारणी एवं निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीया,

13/7

(मोनिका एस0 गर्ग)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–646(1)/सत्तर-2–2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, श्री कुलाधिपति, उ0प्र0।
2. समस्त कुलपति, राज्य विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
3. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
4. निदेशक, सूचना विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., योजना भवन, लखनऊ।
6. अपर सचिव उच्च शिक्षा परिषद, इंदिरा भवन, लखनऊ को वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
7. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री/निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री जी।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(श्रवण कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या– 512/सत्तर–2–2023–16(11)/2017 टी0सी0

प्रेषक,

डा0 सुधीर एम0 बोबडे,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
प्रयागराज।

2. कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

3. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग–2 लखनऊः दिनांकः 28 फरवरी, 2023

विषयः– उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक सत्र 2023–24 के लिये नये महाविद्यालयों/संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थानों में अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों (बी0एड0 पाठ्यक्रम को छोड़कर) को प्रारम्भ करने हेतु अनापत्ति एवं सम्बद्धता प्रस्तावों के ऑनलाइन निस्तारण हेतु समय–सारिणी।

महोदय,

उपर्युक्त संदर्भ में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या–646/सत्तर–2–2022–16(11)/2017टी0सी0 दिनांक 14.07.2022 के माध्यम से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बी0एड0 पाठ्यक्रम के अतिरिक्त नये महाविद्यालयों/संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थानों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने हेतु शैक्षिक सत्र 2023–24 के लिये अनापत्ति एवं सम्बद्धता हेतु नये आवेदन प्रस्तुत करने और उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा उनके ऑनलाइन निस्तारण हेतु समय–सारिणी निर्धारित की गयी थी।

2– उक्त शासनादेश दिनांक 14.07.2022 में विश्वविद्यालय में ऑनलाइन जमा किये गये प्रस्तावों के भूमि संबंधी अभिलेखों का राजस्व विभाग से सत्यापन कराये जाने की अंतिम तिथि दिनांक 31.01.2023 निर्धारित थी, परन्तु एन0आई0सी0 द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूची (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार निर्धारित समय व्यतीत हो जाने के बाद भी कुल 784 प्रकरण (दिनांक 28.02.2023 को) संबंधित जिला प्रशासन स्तर पर लम्बित हैं।

3– उक्त के दृष्टिगत छात्र–हित एवं शिक्षा हित में सम्यक विचारोंपरान्त बी0एड0 पाठ्यक्रम के अतिरिक्त नये महाविद्यालयों/संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थानों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने हेतु शैक्षिक सत्र

2023–24 के लम्बित प्रस्तावों के ऑनलाइन निस्तारण हेतु अंतिम अवसर प्रदान करते हुये शासनादेश दिनांक 14.07.2022 द्वारा निर्धारित समय–सारिणी में निम्नवत् संशोधन किया जाता है:–

| क0 | कार्यवाही | समय-सीमा | संशोधित समय सीमा |
|---|---|---|---|
| 1 | विश्वविद्यालय में नये पाठ्यकमों हेतु अनापत्ति प्रस्ताव ऑनलाइन जमा करने की अन्तिम तिथि। | दिनांक 01 सितंबर से 31 दिसंबर, 2022 तक। | - |
| 2 | विश्वविद्यालय में ऑनलाइन जमा किये गये प्रस्तावों के भूमि संबंधी अभिलेखों का राजस्व विभाग से सत्यापन कराया जाना। | दिनांक 15 सितंबर से 31 जनवरी, 2023 तक।<br>(1) अनापत्ति प्रस्ताव प्राप्त होने के तिथि से 07 दिन के अंदर संबंधित जनपद के जिलाधिकारी को सत्यापन हेतु प्रेषित कर दिया जायेगा।<br>(2) तद्रोपरान्त जिलाधिकारी प्रस्ताव प्राप्त होने के अधिकतम् एक माह के अंदर सत्यापन रिपोर्ट संबंधित विश्वविद्यालय को ऑनलाइन प्रेषित कर देगा। | दिनांक 17 मार्च, 2023 तक। |
| 3 | अनापत्ति आदेश ऑनलाइन निर्गत किया जाना। | दिनांक 15 फरवरी, 2023 तक। | दिनांक 25 मार्च, 2023 तक। |
| 4 | निरीक्षण मण्डल का गठन | दिनांक 28 फरवरी, 2023 तक।<br>(1) अनापत्ति आदेश ऑनलाइन निर्गत होने के पश्चात संस्था द्वारा दिनांक 22 फरवरी तक निरीक्षण मण्डल का गठन के संबंध में आवेदन किया जायेगा।<br>(2) तद्रोपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा 28 फरवरी तक निरीक्षण मण्डल का गठन कर लिया जायेगा। | दिनांक 10 अप्रैल, 2023 तक।<br>(1)अनापत्ति आदेश ऑनलाइन निर्गत होने के पश्चात संस्था द्वारा दिनांक 03 अप्रैल तक निरीक्षण मण्डल का गठन के संबंध में आवेदन किया जायेगा।<br>(2)तद्रोपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा 10 अप्रैल तक निरीक्षण मण्डल का गठन कर लिया जायेगा। |
| 5 | निरीक्षण मण्डल द्वारा निरीक्षण आख्या का प्रस्तुत किया जाना। | दिनांक 15 अप्रैल, 2023 तक। | दिनांक 31 मई, 2023 तक। |

28/12/23

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 | सदस्य-सचिव द्वारा आख्या को ऑनलाइन अपलोड किया जाना। | दिनांक 18 अप्रैल, 2023 तक। | दिनांक 05 जून, 2023 तक। |
| 7 | विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता ऑनलाइन प्रदान करने की अन्तिम तिथि | दिनांक 28 अप्रैल, 2023 तक। | दिनांक 15 जून, 2023 तक। |
| 8 | शासन में अपील करने की अन्तिम तिथि | दिनांक 15 मई, 2023 तक। | दिनांक 30 जून, 2023 तक। |
| 9 | शासन स्तर पर अपील निस्तारित करने की अन्तिम तिथि | दिनांक 15 जून, 2023 तक। | दिनांक 15 जुलाई, 2023 तक। |

4– अनापत्ति एवं सम्बद्धता के अनिस्तारित आवेदन पत्र दिनांक 16 जुलाई को पोर्टल से स्वतः विलोपित कर दिये जायेगें तथा संस्था को अगले शैक्षिक सत्र हेतु नवीन आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा करना होगा।

5– कृपया उक्त समय–सारणी का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। यदि समय–सारिणी का प्रभावी अनुपालन नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारी के विरूद्ध दायित्व निर्धारण की कार्यवाही की जायेगी।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

28/7/23

(डा0 सुधीर एम0 बोबडे)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 512(1)/सत्तर–2–2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, श्री कुलाधिपति, उ0प्र0।
2. समस्त कुलपति, राज्य विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
3. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
4. निदेशक, सूचना विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., योजना भवन, लखनऊ।
6. अपर सचिव उच्च शिक्षा परिषद, इंदिरा भवन, लखनऊ को वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
7. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री/निजी सचिव, मा0 मंत्री जी।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0पी0 मिश्रा)
अनु सचिव।

16-7-23

संख्या–1670/सत्तर–2–2023–16(11)/2017 टी0सी0

प्रेषक,

एम0पी0 अग्रवाल,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग–2 लखनऊः दिनांकः 14 जुलाई, 2023

विषयः–उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक सत्र 2023–24 के लिये नये महाविद्यालयों/संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थानों में अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों (बी0एड0 पाठ्यक्रम को छोड़कर) को प्रारम्भ करने हेतु अनापत्ति एवं सम्बद्धता प्रस्तावों के ऑनलाइन निस्तारण हेतु समय–सारिणी।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–646/सत्तर–2–2022–16(11)/2017टी0सी0 दिनांक 14.07.2022, शासनादेश संख्या–512/सत्तर–2–2023–16(11)/2017टी0सी0 दिनांक 28.02.2023 एवं शासनादेश संख्या–745/सत्तर–2–2023–16(11)/2017टी0सी0 दिनांक 30.03.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से शैक्षिक सत्र 2023–24 के लिये नये महाविद्यालयों/संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थानों में अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों (बी0एड0 पाठ्यक्रम को छोड़कर) को प्रारम्भ करने हेतु अनापत्ति एवं सम्बद्धता प्रस्तावों ऑनलाइन निस्तारण हेतु समय–सारिणी निर्धारित की गयी है।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शैक्षिक सत्र 2023–24 के लिये ऑनलाइन सम्बद्धता के प्रकरणों के निस्तारण हेतु शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत् संशोधित समय–सारिणी निर्धारित की जाती है :–

| क्र0 | कार्यवाही | संशोधित समय-सीमा |
|---|---|---|
| 1 | विश्वविद्यालय में नये पाठ्यक्रमों हेतु अनापत्ति प्रस्ताव ऑनलाइन जमा करने की अन्तिम तिथि। | – |
| 2 | विश्वविद्यालय में ऑनलाइन जमा किये गये प्रस्तावों के भूमि संबंधी अभिलेखों का राजस्व विभाग से सत्यापन कराया जाना | – |
| 3 | अनापत्ति आदेश ऑनलाइन निर्गत किया जाना | – |
| 4 | निरीक्षण मण्डल का गठन | **दिनांक 23 जुलाई, 2023 तक।**<br>(1) अनापत्ति आदेश ऑनलाइन निर्गत होने के पश्चात संस्था द्वारा दिनांक 18 जुलाई, तक निरीक्षण मण्डल का गठन के संबंध में आवेदन किया जायेगा।<br>(2) तदोपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा 23 जुलाई, तक निरीक्षण मण्डल का गठन कर लिया जायेगा। |

15/7/23

Draft AB 372

15/7/23

| | | |
|---|---|---|
| 5 | निरीक्षण मण्डल द्वारा निरीक्षण आख्या का प्रस्तुत किया जाना। | **दिनांक 28 जुलाई, 2023 तक।** |
| 6 | सदस्य-सचिव द्वारा आख्या को ऑनलाइन अपलोड किया जाना। | **दिनांक 31 जुलाई, 2023 तक।** |
| 7 | विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता ऑनलाइन प्रदान करने की अन्तिम तिथि | **दिनांक 05 अगस्त, 2023 तक।** |
| 8 | शासन में अपील करने की अन्तिम तिथि | **दिनांक 10 अगस्त, 2023 तक।** |
| 9 | शासन स्तर पर अपील निस्तारित करने की अन्तिम तिथि | **दिनांक 18 अगस्त, 2023 तक।** |

3– उक्त समय–सारिणी का प्रभावी एवं समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित कराने का दायित्व विश्वविद्यालय के कुलसचिव का होगा।

भवदीय,

(एम0पी0 अग्रवाल)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 1670 /सत्तर–2–2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव, श्री कुलाधिपति, उ0प्र0।
2. समस्त कुलपति, राज्य विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
3. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
4. निदेशक, सूचना विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., योजना भवन, लखनऊ को इस आशय से कि कृपया उक्त समय–सारिणी के अनुसार तत्काल पोर्टल पर अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।
6. अपर सचिव उच्च शिक्षा परिषद, इंदिरा भवन, लखनऊ को वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
7. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री/निजी सचिव, मा0 मंत्री जी।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0पी0 मिश्र)
उप सचिव।

Draft AB 373

संख्या-2443/सत्तर-2-2000-21851/9

प्रेषक,

श्री हेमन्त राव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश ।

उच्च शिक्षा अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 09 मई, 2000

विषय:- उच्च शिक्षा के क्षेत्र में स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हे
मानकों का निर्धारण ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे आपका ध्यान शासनादेश संख्या-1960/सत्तर-2-97-21851/97, दिनांक 11-11-97 तथा शासनादेश संख्या-422 सत्तर-2-99-21851/97, दिनांक 30-10-99 की ओर आकृष्ट करने का हुआ है कि उक्त शासनादेशों द्वारा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों को आरम्भ करने हेतु मानकों का निर्धारण किया गया है । इन में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के क्षेत्रान्तर्गत आने वाले पाठ्य तथा उसके परिक्षेत्र के बाहर के पाठ्यक्रमों के लिए अलग-अलग मानक निर्धा हैं। उक्त दिनांक 11-11-97 के शासनादेश में ऐसी संस्थाओं तथा महावि में उल्लिखित पाठ्यक्रमों हेतु अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया तथा उन्हें अ किये जाने वाले वेतन की स्थिति भी स्पष्ट की गयी थी । शासनादेश 30-10-99 द्वारा शिक्षकों के चयन एवं उन्हें अनुमन्य वेतन के सम्बन्ध में विचार करने के उपरान्त कतिपय संशोधन भी किये गये ।

2. उपर्युक्त शासनादेशों में विहित शिक्षकों की चयन प्रक्रिया, उनके निर्धारण एवं अर्हताओं के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचार उपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिया गया है:-

(1). स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों में अध्यापकों के चयन के लिए

//3//

उपरोक्त उल्लिखित व्यवस्थाओं को लागू करने सम्बन्ध में विश्वविद्यालय की परिनियमावली में तदनुसार प्राविधान करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(हेमन्त राव)
विशेष सचिव।

संख्या-2443(1)/सत्तर-2-2000 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) कुलपति, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
(2) सचिव, महामहिम कुलाधिपति।
(3) निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(4) अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ।
(5) उच्च शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारी एवं अनुभाग।
(6) निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।

आज्ञा से,

(हेमन्त राव)
विशेष सचिव।

25

संख्या 2218/सत्तर–2–2011–16(409)/20..

प्रेषक

अवनीश कुमार अवस्थी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग–2

लखनऊ: दिनांक 23 अगस्त, 20..

विषय: उच्च शिक्षा के क्षेत्र में स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम आरम्भ करने हेतु मानकों का निर्धारण

महोदय,

उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों .. स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम संचालन करने हेतु शासनादेश संख्या–2443/सत्तर–2– 2000–2(85)/97, दिनांक 09 मई, 2000 एवं सपठित शासनादेश संख्या–5699/सत्तर–2–2007–2(85)/97, दिनांक 11 जनवरी, 2008 के द्वारा मानकों का निर्धारण ... शिक्षकों की नियुक्ति एवं वेतन आदि के संबंध में मार्गदर्शन सिद्धान्त/दिशा निर्देश दिये गये है। शासन के संज्ञान में ... कि स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों में कार्यरत शिक्षकों की समस्याओं के निराकरण हेतु निम्नवत मार्गदर्शन दिशा–निर्देश ... किये जाते है:–

1. अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों में स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों से शुल्क के रुप में जो सकल धनराशि प्राप्त होती है उसे एक ही बैंक के एक ही खाते में रखा जाना उचित होगा और प्रतिमाह विभिन्न पाठ्यक्रमों की सकल आय का 75 से 80 प्रतिशत धनराशि शिक्षकों के वेतन पर व्यय को सुनिश्चित करने हेतु खाते का संचालन महाविद्यालय के प्रबन्धक एवं प्राचार्य के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जायेगा।
2. स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों में संविदा पर नियुक्त शिक्षकों की संविदा अवधि बढाये जाने के संबंध में शासनादेश संख्या 2443/सत्तर–2– 2000–2(85)/97, दिनांक 09 मई, 2000 एवं सपठित शासनादेश संख्या–5699/सत्तर–2–2007–2(85)/97, दिनांक 11 जनवरी, 2008 द्वारा यह व्यवस्था की गयी है कि प्रथम पाँच वर्ष की संविदा समाप्त होने पर प्रबन्धतंत्र फिर से चयन की कार्यवाही प्रारम्भ करने में पूर्व कार्यरत शिक्षकों जिनका कार्य एवं आचरण संतोषजनक हो और उनके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही प्रचलित न हो, के नाम पर निश्चित रुप से विचार किया जायेगा और पूर्व से कार्यरत शिक्षकों को साक्षात्कार में शामिल करने अथवा विश्वविद्यालय से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी और पाँच वर्ष के पश्चात् उनकी संविदा को अगले पाँच वर्ष के लिए नवीनीकरण हो जायेगा। तद्क्रम में यह व्यवस्था की जाती है कि कोई प्रतिकूल परिस्थिति न होने पर प्रबन्धतंत्र संबंधित विश्वविद्यालय के अनुमोदन से शिक्षकों की संविदा का नवीनीकरण अपने स्तर से करते रहेगें किन्तु प्रतिकूल उपस्थिति उत्पन्न होने पर संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति का विनिश्चय अंतिम होगा।
3. महाविद्यालय के स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम से संबंधित खाता पृथक होगा जिस खाते का आवश्यक रूप से वार्षिक आडिट कराया जायेगा तथा प्रत्येक वर्ष 30 जून तक विश्वविद्यालय/शासन को आडिट रिपोर्ट उपलब्ध कराई जायेगी।
4. सभी अनुदानित महाविद्यालयों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन संविदा पर रखे गए कार्यरत शिक्षकों से कराया जा सकता है तथा इन शिक्षकों को रिफ्रेशर/ओरियेंटेशन/वर्कशाप में भाग लेने की अनुमति/स्वीकृति प्रदान की जा सकती है।
5. स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम में संविदा पर कार्यरत शिक्षकों हेतु शासनादेश संख्या–2443/सत्तर–2–2000–2(85)/97, दिनांक 09 मई, 2000 में सी.पी.एफ. व्यवस्था अनिवार्य रुप से लागू किया जाना प्राविधानित है। ऐसे शिक्षक जिस दिनांक से शिक्षण कार्य कर रहे हैं उस तिथि/माह से सी.पी.एफ. योजना लागू की जाय तथा प्रत्येक वर्ष सी.पी.एफ. खाते में जमा धनराशि की सालाना सूचना विश्वविद्यालय एवं शासन को प्रेषित की जायेगी।

26

-2-

अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में जो स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम है उनके खोले जाने की अनुमति शासन से दी जाती है अतः यदि किसी पाठ्यक्रम में छात्रों की संख्या शून्य हो जाती है तो महाविद्यालय अपनी रिपोर्ट विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करेगा तथा शासन के अनुमोदनोपरान्त विश्वविद्यालय की अनुमति से ही ऐसे पाठ्यक्रम को बन्द किया जा सकता है। इस व्यवस्था को शासनादेश संख्या–5699 / सत्तर–2–2007–2(85) / 97, दिनांक 11 जनवरी, 2008 के जारी होने की तिथि से लागू किया जाये।

उक्त प्राविधान अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में संचालित स्ववित्तपोषित संकायो में कार्यरत शिक्षकों पर ही लागू होंगे।

उपरिसंदर्भित शासनादेश संख्या–2443 / सत्तर–2– 2000–2(85) / 97, दिनांक 09-मई, 2000 एवं [illegible] शासनादेश संख्या–5699 / सत्तर–2–2007–2(85) / 97, दिनांक 11 जनवरी, 2008 के शेष प्राविधान शर्तें यथावत [illegible]

उपरोक्त उल्लिखित व्यवस्थाओं को लागू करने के संबंध में विश्वविद्यालय की परिनियमावली में तद्नुसार प्राविधान करने का कष्ट करें।

भवदीय,
ह0 / –
(अवनीश कुमार अवस्थी)
सचिव

संख्या– (1)सत्तर–2–2011 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. कुलपति, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद, को इस निर्देश के साथ कि वे सभी महाविद्यालयों को अनुपालन हेतु निर्देशित कर दें।
3. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश को भी इस निर्देश के साथ कि उक्त निदेशो का अनुपालन सुनिश्चित करायें।
4. उच्च शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारी / अनुभाग
5. निजी सचिव, माननीय मंत्री जी उच्च शिक्षा विभाग
6. वेब मास्टर उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7. अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद के विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शन हेतु।
8. विभागिक आदेश पुस्तिका।

ह0 / –
(सुरजन सिंह
अनुसचिव

# वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

पृष्ठांकन पत्रांक–पूविवि / सम्बद्धता / सर्कुलर / 2011 / 6610 — दिनांक– 15 सितम्बर, 2011

उपरोक्त की प्रतिलिपि प्राचार्य / प्रबन्धक समस्त अशासकीय महाविद्यालय सम्बद्ध वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय जौनपुर को इस आशय से प्रेषित कि स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों में कार्यरत शिक्षकों की समस्याओं के निराकरण हेतु दिये गये उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कर कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।

परीक्षा नियन्त्रक, वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक कुलसचिव (शैक्षणिक) वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कुलसचिव